कल बनाएं अपना
शिक्षित बनें, सभ्य बनें

रैगिंग कर अपना कल न खराब करें यह दण्डनीय अपराध है

रैगिंग होने की स्थिति में शिकायत करें

- शैक्षणिक संस्था के प्रमुख को
- शैक्षणिक संस्था की एन्टी रैगिंग कमेटी को
- ई-मेल helpline@antiragging.in
- हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-5522
- पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 100
- मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल -462011
  फोन नं. - 0755-2572034, फैक्स - 0755-2574028
  ई-मेल - mphumanright@yahoo.co.in

स्कूल/महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आये हैं, दूसरों के साथ अमानवीय व्यवहार न

इन्हें मत करिये -

- दबाव डालकर पैसों की मांग।
- दबावपूर्वक पैसा खर्च करने को बाध्य करना।
- यौन उत्पीड़न करना या ऐसा कोई कृत्य करना जो जूनियर छात्रों पर शारीरिक या मानसिक रूप से दुष्प्रभाव डालता हो।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश -

- रैगिंग की घटना पर संस्था प्रमुख पुलिस में एफ.आई.आर. करायेंगे।
- रैगिंग के हर मामले में प्राथमिकता से सुनवाई
- रैगिंग में लिप्त के शिक्षा सं प्रवेश नि जायेंगे।

रैगिंग एक अमानवीय व्यवह

हम सब बराबर
बराबर हमारे अधिकार

मध्यप्रदेश मानव अधिकार अ

पर्यावास भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
दूरभाष : 0755-2572034, फैक्स : 0755-2574028
वेबसाइट : www.mphrc.nic.in, ई-मेल : mphumanright@yahoo.co.

किसी के अपमान में कैसी खुशी
आप सभ्य हैं न!

तो न कहें रैगिंग को – यह दण्डनीय अपराध है।

रैगिंग होने की स्थिति में शिकायत करें

- शैक्षणिक संस्था के प्रमुख को
- शैक्षणिक संस्था की एन्टी रैगिंग कमेटी को
- ई-मेल helpline@antiragging.in
- हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-5522
- पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 100
- मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल -462011
  फोन नं. - 0755-2572034, फैक्स - 0755-2574028
  ई-मेल - mphumanright@yahoo.co.in

न्हें मत करिये -

दबाव डालकर पैसों की मांग।
दबावपूर्वक पैसा खर्च करने को बाध्य करना।
यौन उत्पीड़न करना या ऐसा कोई कृत्य करना जो जूनियर छात्रों पर शारीरिक या मानसिक रूप से दुष्प्रभाव डालता हो।

ध्यान रखें -

- रैगिंग में लिप्त पाए जाने पर आपको जेल हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्दे

- रैगिंग की घटना पर संस्था प्र तत्काल पुलिस में एफ.आई.अ करायेंगे।
- रैगिंग के हर मामले में न्याय प्राथमिकता से सुनवाई क
- रैगिंग में लिप्त विद्या के शिक्षा संस्थाओं प्रवेश निरस्त जायेंगे।

रैगिंग एक अमानवीय व्यवहा

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आ

सब बराबर
मारे अधिकार

पर्यावास भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
दूरभाष : 0755-2572034, फैक्स : 0755-2574028
वेबसाइट : www.mphrc.nic.in, ई-मेल : mphumanright@yahoo.co.in

किसी के अपमान में कैसी खुशी
आप सभ्य हैं न!

तो न कहें रैगिंग को – यह दण्डनीय अपराध है।

रैगिंग होने की स्थिति में शिकायत करें

- शैक्षणिक संस्था के प्रमुख को
- शैक्षणिक संस्था की एन्टी रैगिंग कमेटी को
- ई–मेल helpline@antiragging.in
- हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-5522
- पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 100
- मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल –462011
  फोन नं. – 0755-2572034, फैक्स – 0755-2574028
  ई–मेल – mphumanright@yahoo.co.in

न्हें मत करिये -

दबाव डालकर पैसों की मांग।
दबावपूर्वक पैसा खर्च करने को बाध्य करना।
यौन उत्पीड़न करना या ऐसा कोई कृत्य करना जो जूनियर छात्रों पर शारीरिक या मानसिक रूप से दुष्प्रभाव ालता हो।

ध्यान रखें -

- रैगिंग में लिप्त पाए जाने पर आपको जेल हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्दे

- रैगिंग की घटना पर संस्था प्र तत्काल पुलिस में एफ.आई.अ करायेंगे।
- रैगिंग के हर मामले में न्याय प्राथमिकता से सुनवाई क
- रैगिंग में लिप्त विद्य के शिक्षा संस्थाअ प्रवेश निरस्त ि जायेंगे।

रैगिंग एक अमानवीय व्यवहा

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आ

सब बराबर
मारे अधिकार

पर्यावास भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011
दूरभाष : 0755-2572034, फैक्स : 0755-2574028
वेबसाइट : www.mphrc.nic.in, ई–मेल : mphumanright@yahoo.co.in

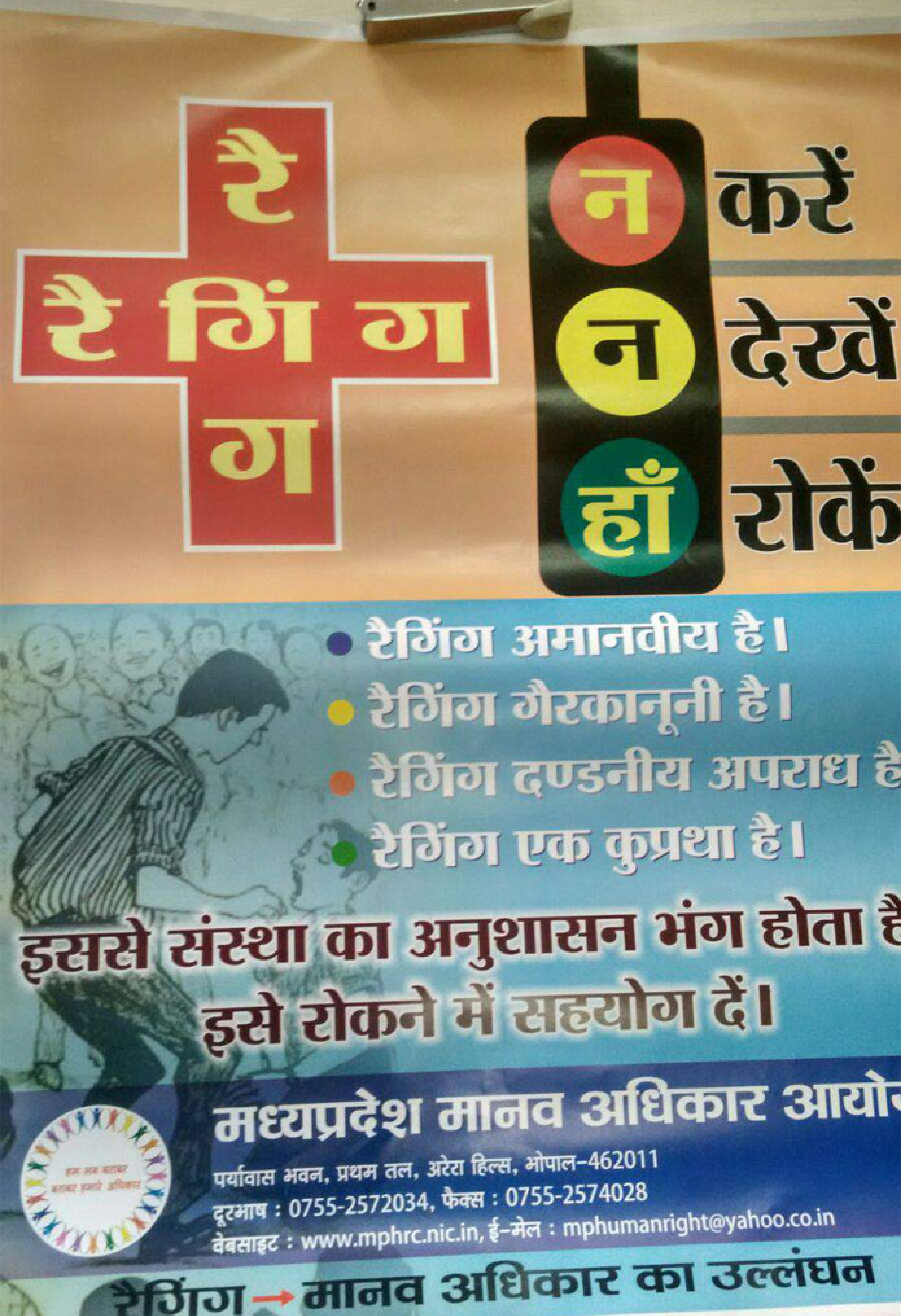
रै
रै गिं ग
ग
न करें
न देखें
हाँ रोकें
रैगिंग अमानवीय है।
रैगिंग गैरकानूनी है।
रैगिंग दण्डनीय अपराध है
रैगिंग एक कुप्रथा है।
इससे संस्था का अनुशासन भंग होता है
इसे रोकने में सहयोग दें।
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयो
पर्यावास भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011
दूरभाष : 0755-2572034, फैक्स : 0755-2574028
वेबसाइट : www.mphrc.nic.in, ई–मेल : mphumanright@yahoo.co.in
रैगिंग → मानव अधिकार का उल्लंघन

हम सब बराबर
बराबर हमारे अधिकार

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

पर्यावास भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष : 0755-2572034, फैक्स : 0755-2574028

वेबसाइट : www.mphrc.nic.in

ई-मेल : mphumanright@yahoo.co.in

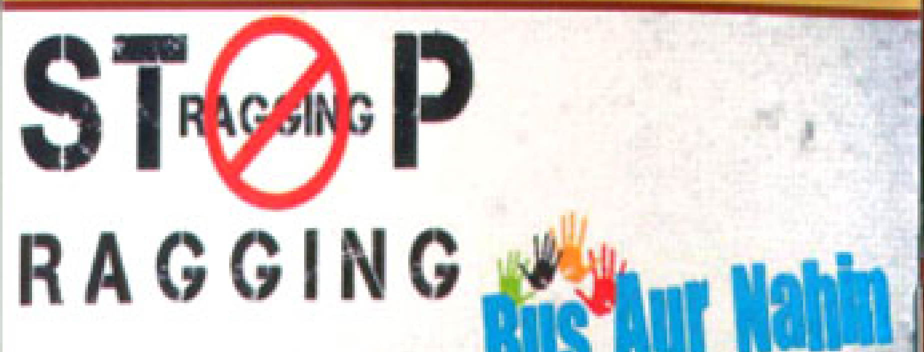

रैगिंग एक अमानवीय व्यवहार

रैगिंग एक अमानवीय व्यवहार

रैगिंग एक ऐसा अमानवीय व्यवहार है जो शब्दों द्वारा या लिखित में किया जाये। जिससे किसी दूसरे विद्यार्थी को परेशान करने उसके साथ अभद्रता करने या ऐसा करने से वह शारीरिक या मानसिक रूप से कुंठा ग्रसित हो जाये और एक भय का वातावरण निर्मित हो। किसी विद्यार्थी को ऐसा कृत्य करने के लिये प्रेरित करना, विवश करना जिसमें लज्जा महसूस होती है और ऐसी गतिविधियों से जूनियर छात्रों से शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे कृत्य जिनमें पैसों की मांग करना या पैसों को खर्च करने के लिये बाध्य करना, यौन उत्पीडन करना, नग्न करना, जिससे की जूनियर विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसे सभी कृत्य रैगिंग की श्रेणी में आते हैं।

रैगिंग विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों के लिये उत्पन्न की गयी एक ऐसी समस्या है, जिसके परिणाम स्वरूप युवा अवस्था में ही विद्यार्थी का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। ऐसे अमानवीय व्यवहार को समाप्त किया जाना आवश्यक है। रैगिंग जैसे अमानवीय व्यवहार को समाप्त करने और आवश्यक वैद्यानिक कार्यवाही के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, राघवन समिति की अनुशंसाएं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम लागू किये गये हैं। जिनकी जानकारी इस पुस्तिका में दी जा रही है।

रैगिंग कैसे होती है :-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 26(1) (जी) के अंतर्गत उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009 कि धारा 3 में यह उल्लेख किया गया है कि रैगिंग कैसे होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अंतर्गत आयेंगे :-

1. किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नये आने वाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।
2. छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।
3. किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करें तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा, अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
4. वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुंचाएं।

5. नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।

6. नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।

7. शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचे।

8. मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग मार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।

9. कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

सेंटल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन (सी बी एस ई) नें 09 मार्च 2015 को एक एक परिपत्र जारी करते हुए सीबीएसई से संबंध स्कूलों ने रैगिंग की रोकथाम के लिये एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें मुख्य रूप से रैगिंग और मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिये संस्था प्रमुख के साथ ही टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टॉफ, स्टूडेन्टस, पैरेन्टस और लोकल कम्यूनिटी की भी जिम्मेदारी तय की गयी है।

परिपत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये हैं :, जिनमें मारपीट की रोकथाम के लिये गठित कमेटी की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ होंगी :-

- स्कूल में बदमाशी जैसी घटनाओं को रोकने के लिये बनाये गये प्लान की समीक्षा करना।
- बदमाशियों की रोकथाम के लिये बनाये गये कार्यक्रम को विकसित करने के साथ-साथ अमल में लाना।
- स्टॉफ, स्टूडेन्टस और पैरेन्टस के लिये ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करना और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता लाना।
- लगातार निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर तत्काल मौके पर पहुँचना।

आरोपी छात्रों के खिलाफ संभावित कार्यवाही करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश है :-

- पहले मौखिक या लिखित में चेतावनी दी जायेगी।
- क्लास या स्कूल से कुछ समय के लिये सस्पेंड किया जायेगा।
- रिजल्ट कैंसिल करना या रोकने जैसी कार्यवाही की जा सकेगी।
- छात्र के खिलाफ आर्थिक दण्ड लगाया जा सकेगा।
- बड़ी घटना हो जाने पर छात्र को स्कूल से निष्कासित किया जा सकेगा।

पेरेन्ट्स की जिम्मेदारी :-

- स्कूल की विभिन्न कमेटीयों में पेरेन्ट्स की भूमिका को और मजबूत बनाया जाना चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत शासन के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व निर्देशक डॉ. आर. के. राघवन के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी जिसने रैगिंग रोकने के लिये अनुशंसाएं दी थी। जो इस प्रकार है :-

राघवन समिति के रैगिंग रोकने के लिये सुझाव :-

रैगिंग एक ऐसा अमानवीय व्यवहार है जो शब्दों द्वारा या लिखित में किया जाये जिससे किसी दूसरे विद्यार्थी को परेशान करने उसके साथ अभद्रता करने या ऐसा करने से वह शारीरिक या मानसिक रूप से कुंठा ग्रसित हो जाये और एक भय का वातावरण निर्मित हो।

किसी विद्यार्थी को ऐसा कृत्य करने के लिये प्रेरित करना, विवश करना जिसमें लज्जा महसूस होती है और ऐसी गतिविधियों से जूनियर छात्रों से शैक्षणिक गतिवितियों में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे कृत्य जिनमें पैसों की मांग करना या पैसों को खर्च करने के लिये बाध्य करना, यौन उत्पीड़न करना, नग्न करना, जिससे की जूनियर विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसे सभी कृत्य रैगिंग की श्रेणी में आते हैं।

रैगिंग विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों के लिये उत्पन्न की गयी एक ऐसी समस्या है, जिसके परिणाम स्वरूप युवा अवस्था में ही विद्यार्थी का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। ऐसे अमानवीय व्यवहार को समाप्त किया जाना आवश्यक है। इन अनुशंसाओं के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने रैगिंग रोकने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये थे।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश :-

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास

मंत्रालय ने केन्द्रीय अन्वेशन ब्यूरो के निदेशक रह चुके डॉ आर. के. राघवन की एक समिति बनाई थी। राघवन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने रैगिंग रोकने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये।

- सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर एन्टी रैगिंग हेल्पलाइन स्थापित की गयी है। इस पर पीड़ित विद्यार्थी अथवा उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति नाम से या बिना नाम के शिकायत दर्ज करा सकता है। **हेल्पलाइन का नम्बर 1800-180-5522 और ई-मेल का पता helpline@antiragging.in है।**
- निर्देशों के अनुरूप शैक्षणिक संस्था के प्रमुख रैगिंग रोकने के लिये जिम्मेदार होंगे। वे रैगिंग की सूचना मिलने पर 24 घण्टे के अंदर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करायेंगे।
- रैगिंग के अंतर्गत होने वाले अपराधों के हर मामले में न्यायालय प्राथमिकता से सुनवाई करेंगे।
- रैगिंग रोकने के लिये इस विषय को पाठ्यक्रम में मानव अधिकारों के अंतर्गत शामिल करने पर विचार किया जाये।
- रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी का शैक्षणिक संस्था में प्रवेश निरस्त किया जाये और उसे संस्था में प्रवेश न दिया जाये।
- राज्य शासन रैगिंग रोकने के संबंध में प्रचार प्रसार करें। वह रैगिंग के दोषी पर हुई दण्डात्मक कार्यवाही को भी प्रचारित करें।
- सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में एन्टी रैगिंग समितियां और एन्टी रैगिंग रोधी दस्ता गठित की जाये। इसके पदाधिकारियों के नाम, टेलीफोन नम्बरों सहित संस्था के परिसर में बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाये।
- राघवन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किये गये हैं उनमें मुख्यतः शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख रैगिंग रोकने के लिये जिम्मेदार होंगे।
- रैगिंग की जानकारी मिलने पर संस्था प्रमुख 24 घण्टे के भीतर पुलिस में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर) दर्ज करायेंगे। ऐसा नहीं करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों की कंडिका -7 के अनुसार संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी तय की जायेगी और ऐसे शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध **"उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009"**. के प्रावधान 9.2 के अनुरूप

कार्यवाही की जायेगी, जिसके अंतर्गत संस्था की मान्यता वापस लेना, ऐसी संस्था के पाठ्यक्रमों में प्रवेश से रोकना, अनुदान वापस लेना, अनुदान रोकना अथवा यू.जी.सी. के अधिकार क्षेत्र में आने वाला कोई अन्य दण्ड शामिल है।

वर्ष 2009 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की कुप्रथा को रोकने की दृष्टि से नियम बनाये गये। इन नियमों की कंडिका - 7 के अनुसार रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर शिक्षण संस्था के प्रमुख अथवा उनके द्वारा अधिकृत एण्टी रैगिंग कमेटी के किसी सदस्य के द्वारा 24 घण्टे के अंदर पुलिस में भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम सूचना (एफ.आई.आर) दर्ज करवाने की जिम्मेदारी है।

प्रत्येक छात्र और उसके अभिभावक को संस्था में प्रवेश के समय रैगिंग में सम्मिलित न होने के संबंध में शपथ पत्र देना आवश्यक है। इस शपथ पत्र के आधार पर यदि वह छात्र रैगिंग में सम्मिलित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

रैगिंग होने पर छात्र क्या करें -

- शैक्षणिक संस्था की एन्टी रैगिंग कमेटी व प्राचार्य को तुरंत अवगत करायें। वे इसे छिपायें नहीं व न ही उन छात्रों से डरें।
- संस्था प्रमुख को सूचित करें।
- संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. (प्रथम सूचना रिपोर्ट) तत्काल दाखिल करें।
- रैगिंग होने की स्थिति से तत्काल परिजनों को अवगत करायें।
- पुलिस व प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये तत्काल कार्यवाही करेंगे एवं उन्हें सूचित अवश्य करें।

कॉलेज प्रबंधन के दायित्व -

- शिक्षण संस्था के प्रमुख (प्राचार्य) की यह जिम्मेदारी है कि रैगिंग की जिम्मेदारी मिलने पर 24 घण्टे के भीतर पुलिस में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज करायेंगे। अगर प्राचार्य ऐसी घटना को छिपाते हैं व पुलिस को सूचना नहीं देते तो वे दुष्प्रेरण के आरोपी बन सकते हैं।
- शिक्षण संस्था के प्रोस्पेक्टस में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि रैगिंग एक अपराध है और यदि कोई छात्र रैगिंग में लिप्त होगा तो उसे संस्था से निष्कासित किया जायेगा और उसके विरुध्द कानूनी कार्यवाही किया जायेगा।

- शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी और उनके अभिभावक से इस आशय पर शपथ पत्र लिया जाये कि वे रैगिंग में शामिल नहीं होंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रैगिंग रोकने के लिये बनाये गये नियमों का सख्ती से पालन करें।
- शिक्षण संस्था में एंटी रैगिंग कमेटी और उडनदस्ते का गठन किया जाये।
- सीनियर छात्रों के क्रियाकलापों पर निगरानी रखी जाये।
- रैगिंग लेने वाले छात्रों को शिक्षण संस्था से तत्काल निष्कासित किया जाये।
- सीनियर एवं जूनियर छात्रों के मध्य परस्पर सौहार्द का वातावरण बनाने के लिये कार्यक्रम किये जायें।

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009 की धारा 5 के अंतर्गत संस्था स्तर पर रैगिंग निषेध के उपायों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत –

1. कोई भी संस्था या उसके विभाग अपने परिसर, परिवहन या अन्य स्थानों पर रैगिंग रोकने के लिये विनियमों के अनुसार सभी आवश्यक उपाय करेंगे तथा रैगिंग कि किसी भी घटना को दबाया नहीं जायेगा।
2. सभी संस्थाएं रैगिंग के प्रचार प्रसार, रैगिंग में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विनियम के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

इसी अधिनियम की धारा -6 में संस्था स्तर पर रैगिंग रोकने के उपायों का वर्णन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से संस्था द्वारा रैगिंग रोके जाने बाबत प्रचार प्रसार, मीडिया के माध्यम से जानकारियां देना, संस्था कि प्रवेश पुस्तिका में रैगिंग रोकने संबंधी निर्देश और एन्टी रैगिंग समितियों के सदस्यों कि जानकारी दूरभाष नम्बर सहित दी जाना तथा प्रवेश के समय शपथ पत्र हिन्दी अंग्रेजी व प्रादेशिक भाषा में लिया जाना जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि रैगिंग करने के दोषी को विनियम तथा विधि अनुरूप दण्ड और संस्था से निष्कासन सम्मलित है। इसी धारा में प्रावधान किये गये हैं कि संस्था प्रमुख एन्टी रैगिंग समितियों का आवश्यक रूप से गठन करेंगे। संस्था परिसर और छात्रावास आदि में 24 घण्टे रैगिंग रोकने के लिये कड़ी नजर रखने का प्रबंध करेंगे। इसी अधिनियम की धारा 6.3 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक संस्थान एन्टी रैगिंग कमेटी का गठन करेगी जिसमे पुलिस और नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि सहित मीडिया और गैर सरकारी संगठन के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। धारा 6.4 में संस्था को ऐसे उपाय करने के प्रावधान सम्मिलित है जिनमे मुख्य रूप से

छात्रावास वार्डन के मुख्य दायित्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें काउंसलिंग, निगरानी मुख्य रूप से सम्मिलित है।

इसी अधिनियम की धारा 6.4 (द) उल्लेख है कि रैगिंग के देखरेख करने वाले सेल की रिपोर्ट प्रत्येक पन्द्रह दिन बाद राज्य स्तरीय देखरेख करने वाली सेल को कुलपति के माध्यम से प्रेषित की जाये।

पुलिस के दायित्व –

- रैगिंग की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज की जाये।
- रैगिंग में लिप्त पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- समय समय पर शैक्षणिक संस्था के प्रमुख एवं एन्टी रैगिंग कमेटी से समन्वय स्थापित किया जाये।
- किसी भी शैक्षणिक संस्था या छात्रावास आदि में रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जाये।
- भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत रैगिंग के दौरान होने वाली घटनाओं पर घटना की स्थिति अनुसार कार्यवाही की जायेगी। जैसे कि -
  1. धारा 294 भा.द.स. के अंतर्गत अश्लील कार्य करने या अश्लील गाने या शब्द कहने जिससे कि दूसरों को क्षोभ होता हो तो ऐसे दोषी को अधिकतम तीन माह के कारावास या जुर्माना अथवा दोनो से दंडित किया जायेगा।
  2. धारा 506 भा.द.स. आपराधिक अभित्राश के लिये दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनो से दंडित किया जायेगा और यदि धमकी, घोर उपहति कारित करने की घटना हो तो सात वर्ष कारावास का दण्ड व जुर्माना या दोनो से दंडित किया जायेगा।
  3. धारा 326 भा.द.स. के अंतर्गत खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने पर दस वर्ष कारावास और जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
  4. धारा 306 भा.द.स. आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने पर दस वर्ष तक का कारावास व जुर्माना अथवा दोनो से दंडित किया जायेगा।
  5. धारा 307 भा.द.स. हत्या करने का प्रयत्न करने के अपराध में दस वर्ष कारावास और जुर्माना से दंडित किया जायेगा। ऐसी घटना से मृत्यु होने पर अपराधी को आजीवन कारावास से भी दंडीत किया जा सकता है।

6. धारा 302 भा.द.स. के अंतर्गत हत्या के लिये आजीवन कारावास, मृत्यु दण्ड जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

रैगिंग होने कि स्थिति में पीड़ित छात्र को होने वाली क्षति के अनुरूप भारतीय दण्ड संहिता की उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत किये गये दण्ड प्रावधान से दंण्डित किया जा सकता है।

रैगिंग के दुष्परिणाम से कई युवा और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो जाता है, वे एकाकीपन की ओर बढ़ने लगते हैं तथा अवसाद और आत्मग्लानि के कारण कभी-कभी आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। जिससे उनका परिवार व समाज भी प्रभावित होता है। टाईम ऑफ इंडिया के 05 सितंबर, 2014 के अंक में प्रकाशित समाचार के अनुसार देश में उत्तरप्रदेश राज्य में सर्वाधिक रैगिंग के प्रकरण सामने आये जबकि मध्यप्रदेश में रैगिंग की प्रकरणों की संख्या जून, 2009 से सितंबर, 2014 तक 263 प्रकरण पाये गये।

रैगिंग से पीडित विद्यार्थी या उसके सहपाठी अथवा जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को निडरता के साथ रैगिंग की शिकायत दर्ज कराना चाहिये ताकि रैगिंग लेने वाले विद्यार्थियों के मन में रैगिंग जैसे अमानवीय व्यवहार न करने की सीख मिल सकें। हम सभी को रैगिंग जैसे अमानवीय व्यवहार को ज़ड़मूल से समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिये ताकि सभी विद्यार्थियों के मानवाधिकारों का संरक्षण हो सकें।

देश के कई राज्यों ने ऐन्टी रैगिंग कानून बनाये हैं जिनसे इस कुप्रथा को रोकने में सहायता मिली है।

रैगिंग की शिकायत यहाँ तत्काल करें

- शैक्षणिक संस्था के प्रमुख को
- शैक्षणिक संस्था की एन्टी रैगिंग कमेटी को
- ई-मेल - helpline@antiragging.in
- हेल्पलाइन नम्बर - 1800-180-5522
- पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर - 100
- मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल - 462 011
  फोन नं.-0755-2572034, फैक्स - 0755-2574028
  ई-मेल - mphumanright@yahoo.co.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 26 (1) (जी) के अन्तर्गत)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 17 जून 2009

मिसं० 1-16/2007(सी.पी.पी.-II)

उद्देशिका

माननीय उच्चतम न्यायालय के केरल विश्वविद्यालय बनाम काउंसिल प्रिंसिपल कॉलेज तथा अन्य, एस०एल०पी० सं० 24295, 2006 के 16-5-2007 तथा दिनांक 08-5-2009, सिविल अपील नं. 887 से प्राप्त निर्देशों तथा केन्द्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग निषेध तथा रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए। छात्र अथवा छात्रों द्वारा मौखिक शब्दों अथवा लिखित कार्य द्वारा नए अथवा अन्य छात्र को उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, छात्र को उत्पात अथवा अनुशासनहीनता की गतिविधियों में शामिल करना जिससे नए अथवा किसी अन्य छात्र को कष्ट, परेशानी, कठिनाई अथवा मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा उसमें भय की भावना उत्पन्न हो अथवा नए या अन्य किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में करे तथा जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो अथवा घबराहट हो जिससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी छात्र पर दुष्प्रभाव पड़े अथवा कोई छात्र नए अथवा अन्य छात्र पर शक्ति प्रदर्शन करे। देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में समुचित विकास हेतु शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य समितियों से विचार विमर्श के पश्चात् ये अधिनियम बनाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 26 उप खण्ड (जी) उपखंड (1) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, जिसका नाम है–

1. शीर्षक, प्रारम्भ और प्रयोज्यता

1.1 ये अधिनियम "विश्वविद्यालय अनुदान के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के अधिनियम, 2009" कहे जाएँगे।

1.2 ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा (2) उपखंड (एफ) के अनुसार /विश्वविद्यालय की परिभाषा के अन्तर्गत आनेवाली सभी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 3 के अनुसार सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा अन्य सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं तथा इस प्रकार के विश्वविद्यालय के सम्बन्धित तत्वों से युक्त संस्थाओं, विभागों, इकाइयों तथा अन्य सभी शैक्षिक, आवासीय, खेल के मैदान, जलपान गृह तथा विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं चाहे वे परिसर के भीतर हों अथवा बाहर तथा छात्रों के सभी प्रकार के परिवहन चाहे वे सरकारी हों अथवा निजी छात्रों द्वारा इस प्रकार के विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे।

2. उद्देश्य

किसी छात्र अथवा छात्रों के द्वारा दूसरों को मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा प्रताड़ित करना, उसे छेड़ना किसी नए छात्र के साथ दुर्व्यवहार करना अथवा उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना जिससे आक्रोश, कठिनाई, मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा किसी नए अथवा अन्य किसी छात्र में भय की भावना उत्पन्न हो अथवा किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करे अथवा ऐसा कार्य कराना जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो, पीड़ा हो घबराहट हो अथवा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दुष्प्रभाव पड़े अथवा शक्ति प्रदर्शन करना अथवा किसी छात्र का वरिष्ठ होने के कारण शोषण करना। अतः सभी विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में इन अधिनियम के अन्तर्गत रैगिंग रोकना। इस तरह की घटनाओं में लिप्त व्यक्तियों को इन अधिनियम तथा विधि के अनुसार दण्डित करना।

3. रैगिंग कैसे होती है–

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे–

क किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित शब्दों द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।

ख छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।

ग किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा, अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।

घ वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाए।

ङ नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।

च नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।

छ शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।

ज मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग मार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।

झ कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

4. <u>परिभाषाएं</u>

1 इन अधिनियमों में जब तक कि कोई अन्य संदर्भ न हो।

क अधिनियम का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956/3) है।

ख शैक्षिक वर्ष का तात्पर्य किसी संस्था में किसी छात्र का किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा उस वर्ष की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति है।

ग रैगिंग विरोधी हेल्पलाईन का तात्पर्य इन अधिनियमों के अधिनियम 8.1 की धारा (ए) है।

घ आयोग का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है।

ङ समिति (कौंसिल) का तात्पर्य संसद अथवा राज्य के विधानमंडल द्वारा नियमित उच्चतर शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग तथा स्तर बनाए रखने हेतु गठित समिति है। यथा आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन (ए.आई.सी.टी.ई.) बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डी.सी.आई.) डेन्टिस एजुकेशन काउंसिल (डी.ई.सी.) दी इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आइ.सी.ए.आर) इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आई.एन.सी.) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई.) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पी.सी.आई.) इत्यादि तथा राज्यों की उच्चतर शिक्षा काउंसिल इत्यादि।

च जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति का तात्पर्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा रैगिंग रोकने के लिए जिले की परिसीमा में गठित समिति है।

छ संस्थाध्यक्ष का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा डीम्ड विश्वविद्यालयों हेतु कुलपति अथवा किसी संस्था का निदेशक, कॉलेज का प्राचार्य सम्बन्धित का कार्यकारी अध्यक्ष है।

ज "फ्रेशर" से तात्पर्य वह छात्र है जिसका प्रवेश किसी संस्था में हो गया है तथा उस संस्था में उसकी पढ़ाई का प्रथम वर्ष चल रहा है।

झ संस्था का तात्पर्य वह उच्चतर शिक्षा संस्था है जो चाहे विश्वविद्यालय हो डीम्ड विश्वविद्यालय हो, कॉलेज अथवा राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्थान हो जिसकी रचना संसद के अधिनियम के अनुसार की गई हो। इसमें 12 वर्ष स्कूल की शिक्षा के बाद की शिक्षा दी जाती हो कोई आवश्यक नहीं है कि इसमें चरम सीमा तक उपाधि दी जाती हो। स्नातक/स्नातकोत्तर तथा उच्चतर स्तर अथवा विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की।

ञ एन.ए.ए.सी. का तात्पर्य आयोग द्वारा अधिनियम की 12(सी.सी.सी.) के अनुसार स्थापित नेशनल एकेडमिक एंड ऐक्रिडिटेशन काउंसिल है।

ट राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सेल का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसार अथवा केन्द्र सरकार की सलाह पर रैगिंग रोकने के लिए बनाया गया निकाय है। जिसका कार्यक्षेत्र राज्य तक होगा।

2 शब्द तथा अभिव्यक्ति जो यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम अथवा अधिनियम के सामान्य खण्ड 1897 वही अर्थ होगा जो उसमें दिया गया है।

5. <u>संस्था स्तर पर रैगिंग निषेध के उपाय–</u>

क कोई भी संस्था अथवा उसका कोई भाग, उसके तत्वों सहित केवल विभागों तक नहीं उसकी संघ तक इकाई, कॉलेज, शिक्षण केन्द्र, उसके भू-गृह चाहे वे शैक्षिक, आवासीय खेल के मैदान अथवा जलपान गृह आदि चाहे वे विश्वविद्यालय परिसर में हो अथवा बाहर, सभी प्रकार के परिवहन, या निजी सभी में रैगिंग रोकने हेतु इन विनियमों के अनुसार तथा अन्य सभी आवश्यक उपाय करेंगे। रिपोर्ट होने पर रैगिंग की किसी भी घटना को दबाया नहीं जाएगा।

ख सभी संस्थाएं रैगिंग के प्रचार, रैगिंग में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध इन विनियम के अनुसार कार्यवाई करेंगे।

6. <u>संस्था स्तर पर रैगिंग रोकने के उपाय</u>

6.1 छात्रों के प्रवेश अथवा पंजीकरण के संदर्भ में संस्था निम्नलिखित कदम उठाए।

क संस्था द्वारा जारी इलेक्ट्रानिक दृश्य, श्रव्य अथवा प्रिन्ट मीडिया के छात्र को

प्रवेश संबंधी घोषणा में यही बताया जाए कि संस्था में रैगिंग पूर्णतः निषेध है। यदि कोई रैगिंग करने अथवा उसके प्रचार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया अथवा रैगिंग प्रचार के षड्यंत्र में दोषी पाया गया तो उसे इन विनियम तथा देश के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।

ख प्रवेश की पुस्तिका के निर्देश पुस्तक तथा विवरण पत्रिका चाहे वे इलेक्ट्रानिक हो अथवा मुद्रित उनमें ये विनियम विस्तार से छापे जाएँ। प्रवेश पुस्तिका का निर्देश पुस्तिका विवरण पत्रिका में यह भी मुद्रित किया जाए कि रैगिंग होने पर संस्था के अध्यक्ष इसके साथ संस्थाध्यक्ष, संकाय सदस्य रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों, रैगिंग विरोधी दस्तों के सदस्यों अथवा जिले के अधिकारियों, वार्डनों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका अथवा विवरण पत्रिका में विस्तार से छापे जाएँ।

ग जहाँ कोई संस्था किसी विश्वविद्यालय से संबंध है वहां विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित कर ले कि प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका यह विवरण पत्रिका प्रकाशित करें तो यह विनियम के विनियम 6.1 के खण्ड (ए) और खण्ड (बी) का अनुपालन करें।

घ प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र आवश्यक रूप से अंग्रेजी और हिन्दी/ अभ्यर्थी की ज्ञात किसी एक प्रादेशिक भाषा में इन विनियम के संलग्नक 1 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए तथा हस्ताक्षर किया जाए कि उसने किसी अधिनियम के नियमों को पढ़ लिया है तथा इन विनियम के नियमों तथा विनियम के नियमों तथा विधि को समझ लिया है तथा वह रैगिंग निषेध तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानता/जानती है। वह यह घोषणा करता/करती है कि उसे किसी संस्था द्वारा निष्कासित/निकाला नहीं गया है। साथ ही वह रैगिंग संबंधी किसी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा/होगी और यदि वह रैगिंग करने अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण का दोषी पाया/पायी गई तो उसे इन विनियम तथा विधि के अनुसार दंडित किया जा सकता है और यह दंड केवल निष्कासन तक सीमित नहीं होगा।

ङ प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र अंग्रेजी

और हिन्दी तथा किसी एक प्रादेशिक भाषा या हिन्दी भाषा में इन विनियमों के साथ संलग्नक II। अभ्यर्थी के माता-पिता अभिभावक की ओर से दिया जाए कि उन्होंने रैगिंग के अधिनियम को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है तथा रैगिंग रोकने संबंधित अन्य कानून को भी जानते हैं तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानते हैं। वे घोषणा करते हैं कि उनका वार्ड किसी संस्था द्वारा निष्कासित नहीं किया गया है और न ही निकाला गया है तथा उनका वार्ड रैगिंग से सम्बन्धित किसी कार्य में प्रत्यक्ष/परोक्ष अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण में भाग नहीं लेगा और यदि वह इसका दोषी पाया गया तो उसको इन विनियम तथा कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। यह दंड केवल निष्कासन तक सीमित नहीं होगा।

च प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र के साथ स्कूल लीविंग/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/प्रवास प्रमाण-पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र हो जिसमें छात्र के व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार की जानकारी दी गई हो ताकि संस्था इसके बाद उस पर नजर रख सके।

छ संस्था के/संस्था द्वारा व्यवस्थित व्यवस्था किए गए छात्रावास की प्रार्थना करने वाले छात्र को प्रार्थना पत्र के साथ एक अतिरिक्त शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र पर उसके माता/पिता/अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे।

ज किसी भी संस्था में शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व संस्था अथवा विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों जैसे छात्रपाल (वार्डन) छात्र प्रतिनिधि, छात्रों के माता-पिता अभिभावक, जिला प्रशासन पुलिस आदि की मीटिंग आयोजित करें तथा रैगिंग रोकने के उपायों और उसमें संलिप्त अथवा उसका दुष्प्रेरण करने वालों को चिन्हित कर दण्डित करने पर विचार-विमर्श हेतु उसे सम्बोधित करें।

झ समुदाय विशेष रूप से छात्रों को रैगिंग के अमानवीय प्रभाव के संदर्भ में जागृत करने हेतु तथा संस्था उसके प्रति रवैये से अवगत कराने हेतु बड़े पोस्टर (वरीयता से बहुरंगी) नियम विधि तथा दंड हेतु छात्रावास, विभागों तथा अन्य भवनों के सूचना पट्ट पर लगाया जाए। उनमें से कुछ पोस्टर स्थायी रूप से ही जिन स्थानों पर छात्र एकत्र होते हैं वहां रैगिंग का आयात किए

जाने योग्य स्थानों पर विशेष रूप से ऐसे पोस्टर लगाए जाएँ।

ञ संस्था मीडिया से यह अनुरोध करे कि वह रैगिंग रोकने के नियमों का प्रचार–प्रसार करे। संस्था के रोकने और उसमें लिप्त पाए जाने पर बिना भेद–भाव एवं भय के दण्डित करने के नियम प्रचार करें।

ट संस्था द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को सावधान किया जाए तथा असुरक्षित स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। संस्था द्वारा परिसर में विषम समय तथा शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए तथा रैगिंग किए जाने योग्य स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। पुलिस, रैगिंग विरोधी सचल दल तथा स्वयं सेवी (यदि कोई हो) व्यक्तियों से इसमें सहायता ली जाए।

ठ संस्था अवकाश के समय को नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ से पूर्व रैगिंग के विरुद्ध संगोष्ठी, पोस्टर, पत्रिका, नुक्कड़ नाटक आदि के द्वारा प्रचार करें।

ड संस्था के विभिन्न तंत्र संकाय/विभाग/इकाई आदि।

ढ संस्था के संकाय/विभाग/इकाई आदि छात्रों की विशेष आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कर निदान करें तथा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व रैगिंग निषेध संबंधी अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विधिवत् प्रबन्ध करें।

ण प्रत्येक संस्था अकादमिक सत्र प्रारम्भ होने से पहले पेशेवर काउंसिलरों की सेवा अथवा सहायता ले और वे शैक्षिक वर्ष प्रारम्भ होने के बाद भी नए तथा अन्य छात्रों की काउंसिलिंग के लिए उपलब्ध हों।

त संस्थाध्यक्ष स्थानीय पुलिस तथा अधिकारियों को निजी आधार पर प्रबन्ध किए गए छात्रावास तथा निवास हेतु प्रयोग किये जा रहे भवन के संबन्ध में विस्तृत जानकारी दें। संस्थाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि रैगिंग विरोधी दल ऐसे स्थानों पर रैगिंग रोकने हेतु चौकसी रखें।

6.2 छात्रों का प्रवेश, नामांकन अथवा पंजीकरण होने पर निम्नलिखित कदम उठाए, जिसका नाम इस प्रकार है–

क संस्था में प्रवेश लिए गए प्रत्येक छात्र को एक मुद्रित पत्रिका दी जाए जिसमें यह बताया गया हो कि उसे विभिन्न उद्देश्यों हेतु किससे निर्देशन प्राप्त करना

है। उनमें विभिन्न अधिकारियों के दूरभाष नं० तथा पते भी दिए जाएँ ताकि आवश्यकता पड़ने पर छात्र किसी भी संबंधित व्यक्ति से तुरन्त संपर्क करें। इस विनियम में संदर्भित रैगिंग विरोधी हैल्पलाईन, वार्डन, संस्थाध्यक्ष तथा रैगिंग विरोधी समिति तथा दल के सदस्यों तथा संबंधित जिले तथा पुलिस के अधिकारियों के पते और दूरभाष नं० विशेष रूप से समाहित किए जाएँ।

ख संस्था इन विनियम के विनियम 6.2 खण्ड (क) में निर्देश दिए गये हैं। प्रवेशार्थ को नए छात्रों को दी जानेवाली पत्रिका द्वारा स्पष्ट करें तथा उन्हें अन्य छात्रों से भलीभाँति परिचित कराने हेतु कार्य करें।

ग इन विनियमों के विनियम 6.2 खण्ड (क) में निर्देशित पत्रिका द्वारा नए छात्रों को संस्था के बोनाफाइड स्टूडेंट के रूप में उनके अधिकार भी बताए जाएं। उन्हें यह भी बताया जाए कि वे अपनी इच्छा के बिना किसी का कोई कार्य न करें चाहे उनके लिए उनके वरिष्ठ छात्रों ने कहा हो तथा रैगिंग के प्रयास की सूचना तुरन्त रैगिंग विरोधी दल, वार्डन अथवा संस्थाध्यक्ष को दे दें।

घ इन विनियमों के विनियम 6.2 खण्ड (क) में निर्देशित पत्रिका में संस्था में मनाए जानेवाले विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की तिथि दी हो ताकि नए छात्र संस्था के शैक्षिक परिवेश एवं वातावरण से परिचित हो सकें।

ङ वरिष्ठ छात्रों के आने पर संस्थान प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह के बाद जैसा भी हो अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करें जिसका नाम – (i) संयुक्त सेंसेटाइजेशन प्रोग्राम और वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों की काउंसिलिंग व्यावसायिक काउन्सलर के साथ खण्ड – 6.1 नियम के विनियम के अनुसार करें (ii) नये और पुराने छात्रों को संयुक्त अभिविन्यास कार्यक्रम को संस्था तथा रैगिंग विरोधी समिति सम्बोधित करे (iii) संकाय सदस्यों की उपस्थिति में नये और पुराने छात्रों के परिचय हेतु अधिकाधिक, सांस्कृतिक खेल तथा अन्य प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जावे (iv) छात्रावास में वार्डन सभी छात्रों को सम्बोधित करे तथा अपने दो (2) कनिष्ठ सहयोगियों से कुछ समय तक सहयोग देने हेतु निवेदन करे (v) जहाँ तक सम्भव हो संकाय–सदस्य हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के साथ भोजन भी करें ताकि नये छात्रों में आत्मविश्वास

का भाव उत्पन्न हो।

च संस्था समुचित समितियों का गठन करे । कोर्स इंचार्ज, वार्डन तथा कुछ वरिष्ठ छात्र इन समितियों के सदस्य हों। यह समिति नये और पुराने छात्रों के बीच सम्बंध सुदृढ़ बनाने में सहयोग दे।

छ नये अथवा अन्य छात्र चाहे वे रैगिंग के भोगी हों अथवा रैगिंग होते हुए उन्होंने दोषी को देखा हो उन्हें ऐसी घटनाओं की सूचना देने हेतु उत्साहित किया जाए ताकि उनकी पहचान सुरक्षित रखी जाए और ऐसी घटनाओं की सूचना देने वालों को किसी दुष्परिणाम से बचाया जाए।

ज संस्था में आने पर नये छात्रों के प्रत्येक बैच को छोटे–छोटे वर्गों में बांट दिया जाए और ऐसा प्रत्येक वर्ग किसी एक संकाय सदस्य को दे दिया जाए जो स्वयं वर्ग ग्रुप के सभी सदस्यों से परिचित हो और यह देखे कि नये छात्रों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो यदि हो तो उसका समाधान करने में उचित सहायता करे।

झ इस प्रकार की समिति के संकाय सदस्य का यह दायित्व होगा कि वार्डनों को सहयोग दे तथा छात्रावास में औचक निरीक्षण करते रहें । जहाँ संकाय सदस्य की अपने अधीन छात्रों की डायरी मेन्टेन करें।

ञ नये छात्रों को अलग छात्रावास में रखा जाये और जहाँ इस प्रकार की सुविधायें न हों वहीं संस्था यह सुनिश्चित करे कि नये छात्रों को दिये गये निवास स्थानों पर वार्डन तथा सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी कड़ी निगरानी रखें।

ट संस्था 24 घंटे छात्रावास परिसर में रैगिंग रोकने के लिए कड़ी नजर रखने का प्रबन्ध करे ।

ठ नये छात्रों के माता–पिता/अभिभावकों का यह दायित्व होगा कि रैगिंग से सम्बन्धित सूचना संस्था–अध्यक्ष को प्रदान करें।

ड प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र जो संस्था में पढ़ रहा हो । वह और उसके माता–पिता/अभिभावक प्रवेश के समय निर्देशित शपथ पत्र दे जैसा कि विनियम के विनियम 6.1 खण्ड (डी) (ई) और (जी) के अनुसार दिया जाना । प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में चाहिए।

ढ प्रत्येक संस्था विनियम (6.2) खण्ड – एल के सन्दर्भ अनुसार प्रत्येक छात्र से शपथ पत्र ले और उसका उचित रिकार्ड रखे। प्रतिलिपियाँ को इलेक्ट्रानिक रूप में सुरक्षित रखें ताकि जब आवश्यकता हो कमीशन अथवा कोई संकलित अथवा संस्था अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य सक्षम व्यक्ति अथवा/संगठन द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सके।

ण प्रत्येक छात्र/छात्रा अपने पंजीकरण के समय संस्था को अपनी पढ़ाई करते समय निवास स्थान की सूचना दे यदि उसका निवास स्थान तय नहीं किया है या वह अपने निवास बदलना चाहता/चाहती है तो उसका विवरण होती ही विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाए और विशेष रूप से निजी खर्च पर व्यक्ति लिये गये भवनों अथवा छात्रावासों की जहां वह रह रहा है/रही है।

त आयोग शपथ पत्रों के आधार पर एक उचित आंकड़ा बनाये रखे जो प्रत्येक छात्र और उसके माता/पिता/अभिभावक द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया गया हो। इस प्रकार का आंकड़ा रैगिंग की शिकायतों तथा उसके बाद की गयी कार्यवाही का रिकार्ड भी रखे।

थ आयोग द्वारा आंकड़ा गैर सरकारी निकाय जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो को उपलब्ध कराया जाये इससे आम जनता में विश्वास तथा समिति के आदेश का अनुपालन न करने की सूचना दी जा सके।

द प्रत्येक शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर संस्थाध्यक्ष प्रथम वर्ष पूर्ण करनेवाले छात्रों के माता–पिता/अभिभावकों को रैगिंग से सम्बन्धित विधि और जानकारी से सम्बन्धित पत्र भेजें तथा उनसे अनुरोध करें कि नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में वापस आने पर उनके स्वयं बालक रैगिंग से सम्बन्धित किसी गतिविधि में भाग न लें।

6.2 **प्रत्येक संस्था निम्नलिखित नामों से समितियाँ गठित करें।**

क प्रत्येक संस्था एक समिति बनाए जिसे रैगिंग विरोधी समिति (एंटी रैगिंग कमेटी) कहा जाए। समिति की अध्यक्षता संस्थाध्यक्ष करें तथा समिति के सदस्यों को वे ही नामांकित करें। इसमें पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि भी हो। स्थानीय मीडिया युवा गतिविधियों से जुड़े गैर सरकारी संघटक संगठन सदस्यों के प्रतिनिधि, माता–पिता में से प्रतिनिधि, नए तथा पुराने छात्रों के प्रतिनिधि, शिक्षणेत्तर कर्मचारी तथा विभिन्न वर्गों से प्रतिनिधि समिति में से लिंग के आधार पर इस समिति में स्त्री पुरुष दोनों हों।

ख रैगिंग विरोधी समिति का कर्तव्य होगा कि वह इन विनियम प्रावधान तथा रैगिंग से सम्बन्धित कानून का अनुपालन कराए तथा रैगिंग विरोधी दल के रैगिंग रोकने सम्बन्धी कार्यों को भी देखे।

ग प्रत्येक संस्था एक छोटी समिति का भी गठन करे जिसे रैगिंग विरोधी (एंटी रैगिंग स्क्वैड) नाम से जाना जाए। इसे भी संस्थाध्यक्ष द्वारा गठित किया जाए। यह समिति नजर रखे तथा हर समय पैटरोलिंग और गतिशील बनी रहने हेतु तत्पर रहे।

रैगिंग विरोधी दल/स्क्वैड में कैम्पस के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। इसमें परिसर से बाहर के व्यक्ति नहीं होंगे।

घ रैगिंग विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह छात्रावास तथा रैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील अन्य स्थानों का घटना की औचक निरीक्षण करें।

ङ रैगिंग विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह संस्थाध्यक्ष अथवा अन्य किसी संकाय सदस्य अथवा किसी कर्मचारी अथवा किसी छात्र अथवा किसी माता–पिता अथवा अभिभावक द्वारा सूचित की गई रैगिंग की घटना की जाँच घटना स्थल पर जाकर करे तथा जाँच की रिपोर्ट संस्तुति सहित रैगिंग विरोधी समिति को विनियम 9.1 उपखण्ड (ए) के अनुसार कार्रवाई हेतु सौंपे।

रैगिंग विरोधी दल इस प्रकार की जाँच निष्पक्ष एवं पारदर्शी विधि से करे तथा सामान्य न्याय का पालन किया जाए। रैगिंग के दोषी पाए जानेवाले

छात्र/छात्रों तथा गवाहों को पूरा अवसर देने तथा तथ्य एवं प्रमाण आदि देखने के बाद इसकी सूचना प्रेषित की जाए।

6.3 प्रत्येक संस्था शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु एक मॉनिटरिंग सेल बनाए जिसमें नए छात्रों को मॉनिटर करनेवाले स्वयंसेवी छात्र हों। नए छात्रों पर एक मॉनिटर होना चाहिए।

ख प्रत्येक विश्वविद्यालय, एक समिति का गठन करे जिसे रैगिंग के मॉनिटरिंग सेल के रूप में जाना जाए, जो उस संस्था अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों में इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु सहयोग दें। मॉनिटरिंग सेल संस्थाध्यक्षों रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल से रैगिंग गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सकता है। यह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित/जनपद स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति के सम्पर्क में रहे।

ग मॉनिटरिंग सेल; संस्था द्वारा किए जा रहे रैगिंग विरोधी उपायों का भी मूल्यांकन करेगी । माता–पिता/अभिभावकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में दिए गए शपथ पत्र तथा रैगिंग के नियम तोड़ने पर दण्डित किए जाने हेतु उनकी सहमति की भी जांच करेगा। यह दोषियों को दण्डित किए जाने हेतु उसकी मुख्य भूमिका होगी । रैगिंग विरोधी उपायों के कार्यान्वयन में भी इसकी मुख्य भूमिका होगी।

6.4 **प्रत्येक संस्था निम्नलिखित उपाय भी करें, जिनका नाम हो–**

क प्रत्येक छात्रावास अथवा स्थान जहाँ छात्र रहते है। संस्था के उस भाग में पूर्णकालिक वार्डन हो जिसकी नियुक्ति संस्था द्वारा अर्हता के नियमानुसार की जाय जो अनुशासन बनाये रखे तथा छात्रावास में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के साथ ही युवाओं से कक्षा के बाहर काउंसलिंग और सम्बंध बनाये रखे। यह छात्रावास में रहे या छात्रावास के अत्यन्त निकट रहे।

ख वार्डन हर समय उपलब्ध हो। दूरभाष तथा संचार के अन्य साधनों से हर समय सम्पर्क किया जा सके। वार्डन को संस्था द्वारा मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाये जिसके नम्बर की जानकारी छात्रावास में रह रहे सभी छात्रों को हो।

ग संस्था द्वारा वार्डन तथा रैगिंग रोकने से सम्बन्धित अन्य अधिकारियों के अधिकार बढ़ाने का विचार किया जा सकता है। छात्रावास में नियुक्त सुरक्षाकर्मी सीधे वार्डनों के नियंत्रण में हों तथा वार्डन द्वारा उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाए

घ इन विनियमों के विनियम 6.1 उपखण्ड (ओ) के अनुसार प्रवेश के समय पेशेवर काउंसिलर रखे जायें जो नये और अन्य छात्र जो अपने आने वाले जीवन की तैयारी हेतु विशेष रूप छात्रावास में रहने से सम्बन्धित काउन्सिलिंग चाहते हों उनहें कौंसिलिंग करें। ऐसे काउन्सिलिंग सत्रों से माता-पिता तथा शिक्षकों को भी जोड़ा जाये।

ङ संस्था रैगिंग विरोधी उपायों का व्यापक काउन्सिलिंग सत्र, कार्यशाला, पेंटिंग द्वारा यह कार्य किया जा सकता है।

च संस्था के संकाय सदस्य तथा शिक्षणेतर कर्मचारी, जो केवल प्रशासनिक पद तक सीमित नहीं है, सुरक्षा गार्डस तथा संस्था के अन्दर सेवा करनेवाले कर्मचारियों को रैगिंग तथा उसके दुष्परिणाम के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।

छ संस्था/शिक्षण एवं शिक्षणेतर प्रत्येक कर्मचारी से संविदा पर रखे गए प्रत्येक व्यक्ति से चाहे वे कैंटीन के कर्मचारी हों अथवा सुरक्षा गार्ड हों या सफाई वाले कर्मचारी हों उनसे एक अनुबन्ध ले कि वे अपनी जानकारी में आनेवाले रैगिंग की घटना की जानकारी तुरन्त सक्षम अधिकारियों को देंगे।

ज संस्था द्वारा सेवा कार्य की नियमावली में रैगिंग की सूचना देनेवाले कर्मचारियों को अनुशंसा पत्र देने का नियम बनाए तथा उसे उनके सेवा रिकॉर्ड में रखा जाए।

झ संस्था द्वारा कैंटीन और मैस के कर्मचारियों, चाहे वे संस्था के कर्मचारी हों अथवा निजी सेवा देने वाले हों को निर्देशित किया जाए कि वे अपने क्षेत्र में कड़ी नजर रखें तथा रैगिंग की कोई भी घटना होने पर उसकी जानकारी तुरन्त नामोद्दिष्ट रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों अथवा वार्डन को दें।

ञ शिक्षा की किसी भी स्तर की उपाधि देनेवाली संस्था यह देख ले कि उसके पाठ्यक्रम में रैगिंग विरोधी कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए। मानव अधिकारों की रक्षा पर बल दिया जाए। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में रैगिंग की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला जाए। प्रत्येक शिक्षक आउन्सिलिंग की स्थिति से निबटने का ढंग आना चाहिए।

ट प्रथम वर्ष गए विद्यार्थियों की और हर पन्द्रह दिन में गुमनाम बेतरतीब सर्वेक्षण कि जाएँ। यह देखने के लिए कि संस्था में रैगिंग नहीं हो रही है। सर्वेक्षण की रूपरेखा संस्था स्वयं निश्चित करे। संस्था द्वारा छात्र को दिए जानेवाले विश्वविद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में छात्र के सामान्य चरित्र और व्यवहार के अतिरिक्त यह भी दिया जाए कि क्या छात्र कभी रैगिंग सम्बन्धी अपराध में संलिप्त रहा है। क्या छात्र ने कोई हिंसक अथवा दूसरे को हानि पहुँचाने वाला अपराध किया है।

ठ इन विनियमों विभिन्न अधिकारियों सदस्यों तथा समितियों के अधिकार बताए गए हैं। इसके साथ ही सभी वर्गों के अधिकारियों संकाय के सदस्यों तथा कर्मचारियों सहित चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी जो भी संस्था की सेवा कर रहा है उसका यह सामूहिक दायित्व होगा कि वह रैगिंग की घटनाओं को रोके।

ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थापक अथवा अन्य संस्था का अध्यक्ष सत्र के प्रारम्भिक तीन महीने तक रैगिंग के आदेश के अनुपालन तथा रैगिंग विरोधी उपायों की जानकारी से सम्बन्धित इन विनियम के अधीन साप्ताहिक रिपोर्ट उस विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा जिसके द्वारा यह संस्था विनियमित की गई है, को दें।

ढ प्रत्येक विश्वविद्यालय को कुलपति महोदय विश्वविद्यालय तथा रैगिंग की देखरेख करनेवाले सेल की रिपोर्ट प्रत्येक पन्द्रह दिन बाद राज्य स्तरीय देख रेख करने

दर्ज करा दी है।

7 **संस्थाध्यक्ष द्वारा की जानेवाली कार्रवाई–**

I. रैगिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित किसी के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई ऐसी घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से सम्बन्धित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अंतर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं।

II. रैगिंग हेतु उकसाना

III. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र

IV. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना

V. रैगिंग के समय उत्पात को बाधित करना

VI. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना

VII. शरीर को चोट पहुँचाना

VIII. गलत ढंग से रोकना

IX. आपराधिक बल प्रयोग

X. प्रहार करना, यौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध

XI. बलात् ग्रहण

XII. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना

XIII. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध

XIV. आपराधिक धमकी

XV. पीड़ित में ऐसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना

XVI. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना

XVII. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना

XVIII. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध

रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध यह भी उल्लेख किया जाता है।

संस्थाध्यक्ष रैगिंग की घटना की सूचना तुरन्त जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को दें।

यह भी उल्लेख किया जाता कि संस्था इन विनियम के खण्ड 9 के अधीन अपनी जाँच और उपाय पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बिना प्रारम्भ कर दें और घटना के एक सप्ताह के भीतर औपचारिक कार्रवाई पूरी कर ली जाए।

8 **आयोग और परिषद के कर्तव्य एवं दायित्व**

8.1 आयोग रैगिंग से सम्बन्धित घटनाओं की शीघ्र सूचना हेतु निम्नलिखित कार्य करेगा–

क आयोग धन निर्धारित करेगा तथा एक टोल फ्री रैगिंग विरोधी सहायता लाइन बनाएगा जो 24 घंटे खुली रहेगी जिसका छात्र रैगिंग से सम्बन्धित घटनाओं के निवारण हेतु प्रयोग कर सकते हैं।

ख रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन पर प्राप्त किया गया संदेश तुरन्त संस्थाध्यक्ष, छात्रावास के वार्डन सम्बद्ध विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी को प्रसारित किया जाएगा। सम्बद्ध जिले के अधिकारियों यदि आवश्यकता हुई तो जिला अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी तथा वेबसाइट पर डाल दी जाएगी ताकि मीडिया तथा सामान्य जनता उसका विश्लेषण करे।

ग संस्थाध्यक्ष को एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई इन विनियम के उपखण्ड (बी) के अनुसार करनी होगी।

घ छात्र अथवा किसी भी व्यक्ति को रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन पर संदेश देने हेतु संस्था मोबाइल और फोन के बे-रोक-टोक प्रयोग की छात्रावास तथा परिसर, कक्षाएँ, संगोष्ठी कक्ष पुस्तकालय आदि के अतिरिक्त सभी स्थानों पर प्रयोग की अनुमति के अतिरिक्त सभी स्थानों पर प्रयोग की अनुमति देगा।

ङ रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों, संस्थाध्यक्षों संकाय के सदस्यों, रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों तथा रैगिंग विरोधी दल, जिले के अधिकारियों, हॉस्टल के वार्डनों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों, फोन नम्बर

तथा ऐसे छात्रों को उपलब्ध कराए जाएँ ताकि आवश्यकता में वे उनका प्रयोग कर सकें।

ग आयोग छात्रों तथा उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा दिए गए शपथ पत्रों के आधार पर आंकड़ा रखेगा। यह आंकड़ा रैगिंग की शिकायतों तथा उस पर की गई कार्रवाई के रिकार्ड के रूप में कार्य करेगा।

घ आयोग इस आंकड़े को केन्द्र सरकार द्वारा नामित एवं गैर सरकारी संगठन को उपलब्ध कराएगा। इससे आम जनता में विश्वास बढ़ेगा इन विनियम के अनुपालन न करने की सूचना भी आयोग केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत समितियों को उपलब्ध कराएगा।

8.2 **आयोग नियम के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाएगा–**

क आयोग संस्था हेतु यह आवश्यक करेगा कि वह अपनी विवरणिका में केन्द्र सरकार के निर्देश अथवा राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति के रैगिंग निषेध सम्बन्धी निर्देश और उसके परिणाम सम्मिलित करें । यदि वे ऐसा नहीं करते तो यह माना जाएगा कि वे शिक्षा का स्तर गिरा रहे हैं। तथा इसके लिए उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

ख आयोग यह प्रमाणित करेगा कि इन विनियमों के अनुसार छात्रों तथा उनके माता-पिता/अभिभावक से शपथ पत्र संस्था द्वारा प्राप्त किया जा रहा है।

ग आयोग द्वारा संस्था को दी जा रही किसी प्रकार की विशेष अथवा सामान्य किसी प्रकार की आर्थिक सहायता अथवा अनुदान के यूटिलाइज़ेशन प्रमाण पत्र में एक शर्त यह लगाई जाएगी कि संस्था द्वारा रैगिंग निषेध सम्बन्धी विनियम एवं उपायों का अनुपालन किया जा रहा है।

घ रैगिंग की किसी भी घटना का संस्था के रैंक अथवा एन.ए.ए.सी. अथवा किसी अन्य सक्षम एजेंसी द्वारा दी जानेवाली रैंकिंग और ग्रेडिंग पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है।

ङ आयोग उन संस्थाओं को अतिरिक्त अनुदान दे सकता है अथवा अधिनियम खण्ड 12 बी के लिए अर्ह मान सकता है। जहाँ रैगिंग की घटनाएँ नहीं होंगी।

च जहाँ रैगिंग की घटनाएं नहीं होंगी। आयोग रैगिंग रोकने के लिए एक इंटर

कौंसिल कमेटी बनाएगा जिसमें की भिन्न परिषदों के प्रतिनिधि होंगे। गैर सरकारी एजेंसी आयोग द्वारा रखे जा रहे आंकड़े को देखने के लिए उपखंड (जी) अधिनियम 8.1 के और इस प्रकार के निकाय उच्चतर शिक्षा में रैगिंग विरोधी उपायों को रखने तथा सहयोग देने हेतु तथा समय-समय पर संस्तुतियाँ देने हेतु और प्रत्येक वर्ष के छः महीने में इसकी कम से कम एक बैठक होगी। आयोग एक रैगिंग विरोधी सेल आयोग में बनाएगा। जो रैगिंग से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्र करने तथा उसपर दृष्टि रखने में सचिव की सहायता करेगा। राज्य स्तरीय दृष्टि रखने वाले सेल को ताकि रैगिंग को रोकने के उपायों पर कुशल रूप से कार्य हो सके। यह सेल गैर सरकारी संगठन को रैगिंग रोकने से सम्बन्धित होंगे, को आंकड़े देख रेख में सहायता देगा। इसकी स्थापना अधिनियम 8.1 के खण्ड (जी) के अधीन की जाएगी।

9 **रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई–**

9.1 किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

क रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी सैल दण्ड हेतु अपनी संस्तुति देगा।

ख रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।

I. कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन

II. छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना

III. किसी टैस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना

IV. परिणाम को रोकना

V. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।

VI. छात्रावास से निष्कासित करना

VII. प्रवेश रद्द करना

VIII. संस्था से 04 सत्रों तक के लिए निष्कासन करना।

IX. संस्था से निष्कासित और परिणाम स्वरूप किसी भी संस्था में निश्चित अवधि तक निष्कासन करना। जब रैगिंग वाले अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय ले।

ग रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जाएगी।

I. किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्था होने पर कुलपति से।

II. विश्वविद्यालय का आदेश होने पर कुलाधिपति से

III. संसद के अधिनियम के अनुसार निर्मित राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने पर उसके चेयरमैन अथवा चांसलर अथवा स्थिति के अनुसार

9.2 यदि किसी विश्वविद्यालय के अधीन/सम्बद्ध कोई संस्था (जो उसके विधान से सम्बद्ध अथवा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो) इनमें से किसी नियम विनियम के अनुपालन में असफल रहती है तथा रैगिंग को प्रभावशाली ढंग से रोकने में असफल रहता है तथा विश्वविद्यालय उस पर निम्नलिखित में से कोई एक अथवा किसी समुच्चय दण्ड लगा सकता है-

I. सम्बद्धता/रेकग्निशन या उसे दिए गए अन्य विशेष अधिकार वापस लेना

II. इस प्रकार की संस्था को चल रहे किसी शैक्षिक प्रोग्राम में डिग्री अथवा डिप्लोमा में भाग लेने से रोकना।

III. विश्वविद्यालय द्वारा उसे दिए जा रहे अनुदान को वापस लेना, यदि कोई हो।

IV. विश्वविद्यालय द्वारा संस्था के माध्यम से दिए जा रहे किसी अनुदान को रोकना

V. विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आनेवाला कोई अन्य दण्ड

9.3 जहाँ नियुक्ति देने वाले अधिकारी का विचार है कि संस्था को किसी कर्मचारी द्वारा रैगिंग की सूचना देने में ढील बरती गई है। रैगिंग की सूचना देने में त्वरित कार्रवाई नहीं की है। रैगिंग की घटना अथवा घटनाएँ रोकने के लिए नहीं की है। इन विनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई नहीं की है। रैगिंग की उस अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

यदि इस प्रकार की ढील संस्थाध्यक्ष के स्तर पर हुई है तो संस्थाध्यक्ष की नियुक्ति करनेवाले अधिकारी द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

9.4 कोई भी संस्था जो रैगिंग रोकने इन विनियम के अनुसार कार्रवाई नहीं करेगा अथवा दोषियों को दण्डित नहीं करता तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसके विरुद्ध निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक कार्रवाई करेगा।

I. अधिनियम के खण्ड 12 बी के अन्तर्गत दिए जानेवाले अनुदान को रोकना।

II. दिया जा रहा कोई अनुदान वापस लेना।

III. आयोग द्वारा दी जानेवाली सामान्य अथवा किसी विशेष असिस्टेंस प्रोग्राम हेतु संस्था को अयोग्य घोषित करना।

IV. सामान्य जनता अभ्यर्थियों को समाचार पत्र, मीडिया, आयोग की वेबसाइट आदि द्वारा यह बताना कि संस्था में न्यूनतम शैक्षिक स्तर उपलब्ध नहीं है।

V. इसी प्रकार की अन्य कार्रवाई करना तथा इसी प्रकार से संस्था को तब तक दंडित करना जब तक कि वह रैगिंग रोकने के लक्ष्य को प्राप्त न कर ले

आयोग द्वारा किसी संस्थान के विरुद्ध इस अधिनियम के अनुसार की गई कार्रवाई में सभी समितियाँ सहयोग देंगी।

(डॉ. आर. के. चौहान)
सचिव

संलग्नक 1

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाणपत्र

1. अभ्यर्थी/छात्र का पूर्ण नाम मैं पुत्र/पुत्री ______________________
श्री/श्रीमती/कुमारी ______________________ ने
रैगिंग निषेध से विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केंद्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
2. मैंने पुस्तकावार के विनियम 3 को पढ़ लिया है समझ लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं।
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयता पूर्वक यह प्रमाण करूँगा कि
क) मैं किसी भी रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लूँगा/लूँगी
ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
5. मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नहीं करूँगा/करूँगी
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाया गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत अपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
7. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर______________दिन ______महीना______वर्ष________

अभिभावकों का हस्ताक्षर

शपथ प्रमाणपत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई न कोई तथ्य गलत है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।
सत्यापित______स्थान______ दिन ______महीना______वर्ष________

अभ्यर्थी ने इसकी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

संलग्नक –II

माता-पिता/अभिभावक का शपथ प्रमाण-पत्र

1. मैं ______________________ पिता/माता/अभिभावक ______________________
______ने रैगिंग निषेध की विधि तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देश और केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम-2009 को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने पुस्तकावार के विनियम 3 को पढ़ लिया है समझ लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं।
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयता पूर्वक यह प्रमाण करूँगा कि
क) मैं किसी तरह की रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लूँगा/लूँगी
ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाया गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत अपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर ______________ दिन____ महीना _____ वर्ष__________

हस्ताक्षर
नाम, पता, दूरभाष नं.

शपथ प्रमाण-पत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई न कोई तथ्य गलत है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।
सत्यापित______स्थान______ दिन ______महीना______वर्ष________

अभ्यर्थी ने इसकी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 9th June 2009

No. N-15/13/14/8/2009-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Areas Comprising the Revenue Villages of Theni District
Uthamapalayam Uthamapalayam Taluk, Theni District.	Revenue Villages of Uthamapalayam (South), Uthamapalyam (North), Theni District, Rayappanpatti, Mallingapuram, Kohilapuram, Kombai (East), Kombai (West) and Narayanadhevan Part of Uthamapalyam Taluk of Theni District.

R. C. SHARMA
Joint Director (P & D)

The 10th June 2009

No. N-15/13/14/8/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Areas Comprising the following Areas Revenue Villages of Theni District.
Cumbum Uthamapalayam Taluk	1. Cumbum Municipal Limits of Uthamapalyam Taluk.
	2. Revenue villages of Kamayakoundanpatti, Narayanathevanpatti (South), Narayanathevanpatti (North) Uthamapuram and C. Pudupatti of Uthamapalayam Taluk of Theni District.

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/2/2009-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Areas Comprising the Revenue Villages of
Kandiradi Sub-Urba Devakottai Taluk, Sivagangai District	Periakottai

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/9/9/2/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Orissa Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Orissa namely :—

नोट्स :